पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्लीः अग्रहायण 23, 1944
बुधवारः 14 दिसंबर 2022

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अस्पतालों में ईसीएचएस लाभार्थियों द्वारा उपचार हेतु दिए जाने वाले हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल्स की पूर्ण प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 दिसंबर 2022 को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लाभार्थियों द्वारा सैन्य/सशस्त्र सेना अस्पतालों में उपचार हेतु दिए जाने वाले हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल्स (एचएसआर) की पूर्ण प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय को एचएसआर की प्रतिपूर्ति के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लाभार्थियों द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए सैन्य अस्पताल और ईसीएचएस के बीच विसंगति है।

ईसीएचएस के तहत मौजूदा नीति के अनुसार, सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए एचएसआर और किसी भी अन्य शुल्क का ईसीएचएस सदस्य द्वारा पूरा भुगतान किया जाता है और यह प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। ये अस्पताल केवल पूर्व सैनिकों, उनके पति या पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता-पिता को सीमा के साथ मुफ्त उपचार प्रदान करते हैं। आश्रित भाई/बहनों, अविवाहित बहनों और अशक्त बच्चों को इलाज के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उन्हें एचएसआर शुल्क का भुगतान करना होता था। तथापि, ईसीएचएस के अंतर्गत एक प्राथमिक लाभार्थी और उसके आश्रित कैशलेस उपचार प्राप्त करने के पात्र हैं।

रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद, मौजूदा नीति में संशोधन किया गया है और अब सैन्य अस्पतालों में इलाज के लिए एचएसआर और किसी भी अन्य शुल्क का पूरा भुगतान ईसीएचएस लाभार्थी द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। सैन्य अस्पतालों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानजनक उपचार प्रदान करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

एबीबी/डीएस